

प्रेस-विज्ञप्तिथाना अतरौलियाकिशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक 18.05.23 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि मेरी नाबालिग लड़की को अभियुक्त बृजेश पुत्र इरशाद मस्जिद के पीछे, मुकाम डोंगरा पुलिस चौकी, तहसील-पारड़ी, जिला बलसाड़ (निकट वाली रेलवे स्टेशन) गुजरात बहला फुसलाकर भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 132/23 धारा 363/366 बनाम 1. बृजेश पुत्र इरशाद 2. बविता पत्नी इरशाद निवासीगण मस्जिद के पीछे, मुकाम डोंगरा पुलिस चौकी, तहसील-पारड़ी, जिला बलसाड़(निकट वाली रेलवे स्टेशन)- गुजरात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 उमेश चन्द यादव द्वारा प्रारम्भ किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 15.09.2023 को उ0नि0 उमेश चन्द यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त बृजेश कुमार को बूढनपुर चौराहा से समय करिब 09.15 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 132/23 धारा 363/366/376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

बृजेश कुमार पुत्र स्व0 विनीत राम निवासी शंकरपुर थाना मेहरमा जिला गोड्डा (झारखण्ड) हालपता डुमरा (भोपालीनगर) थाना डुमरी फरैया जि0 बलसाड़ (गुजरात)।

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 उमेश चन्द यादव
2. का0 प्रवीण कुमार
3. म0का0 अभिलाषा द्विवेदी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना – अहरौला3.47 लाख रुपये व आभूषण की ठगी करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार; 83000/- रुपये बरामद

**पूर्व की घटना-** दिनांक 10-09-2023 को वादी मुकदमा हरिराम पुत्र मन्टूराम ग्राम खरूमपुर थाना बावल जनपद रेवाड़ी हरियाणा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्तो 1. रामकुमार पुत्र राजाराम निवासी बरउद थाना सरपतहा जनपद जौनपुर 2. रामकुन्दन पुत्र सभाजीत सा0 हेना थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर 3. राज तिवारी 4. दो लड़किया व कुछ व्यक्ति नाम पता अज्ञात ने शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी व छल करके 3 लाख 47 हजार रुपया व कुछ जेवर व कपड़े तथा 03 मोबाइल लेकर भाग गये है जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 294/2023 धारा 420/406 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह द्वारा प्रारम्भ की गयी।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 15.09.2023 को उ0नि0 सुरेन्द्र नाथ तथा उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द व मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तो 1.अंगद कुमार पुत्र जय श्री निवासी विहराबुजुर्ग थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष, 2. बृजेश कुमार पुत्र जितेन्द्र नाथ निवासी कौड़िया शाहगंज थाना शाहगंज जनपद जौनपुर उम्र 40 वर्ष, 3.रामबुझ पुत्र सन्तबक्स उर्फ बक्कस निवासी लेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 50 वर्ष, 4. राजकुमार पुत्र राजाराम निवासी बरऊद थाना सरपतहाँ जनपद जौनपुर उम्र 42 वर्ष, 5. रामसुन्दर उर्फ कुन्दन पुत्र सभाजीत निवासी डेमा थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर उम्र 30 वर्ष, 6. कंचन निषाद पुत्री ब्रहमदेव निषाद ग्राम लेदौरा(बलुहअवा) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष को फुलवरिया बाजार से समय करिब 12.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग:-** मु0अ0सं0 294/2023 धारा 406,420,506,392,411 IPC थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता-**

- 1.अंगद कुमार पुत्र जय निवासी विहराबुजुर्ग थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष
2. बृजेश कुमार पुत्र जितेन्द्र नाथ निवासी कौड़िया शाहगंज थाना शाहगंज जनपद जौनपुर उम्र 40 वर्ष
- 3.रामबुझ पुत्र सन्तबक्स उर्फ बक्कस निवासी लेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 50 वर्ष
4. राजकुमार पुत्र राजाराम निवासी बरऊद थाना सरपतहाँ जनपद जौनपुर उम्र 42 वर्ष
5. रामसुन्दर उर्फ कुन्दन पुत्र सभाजीत निवासी डेमा थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर उम्र 30 वर्ष
6. कंचन निषाद पुत्री ब्रहमदेव निषाद ग्राम लेदौरा(बलुहअवा) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष

**बरामदगी:-** रुपया 83,000/-

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

उ0नि0 सुरेन्द्र नाथ, उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द, का0 प्रदीप कुमार यादव, का0 आलोक कुमार, का0 राम सिंह यादव, का0 संजीव कुमार यादव, का0 नीरज गौड़, म0का0 संध्या सिंह चौहान व म0का0 वन्दना सिंह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

## थाना- बरदह

### अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 15.09.2023 को उ0नि0 उ0नि0 भगत सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि बहद ग्राम अहिरौली के पास से अभियुक्त शनी यादव पुत्र राजेश यादव निवासी अहिरौली थाना बरदह आजमगढ अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ जा रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 उ0नि0 भगत सिंह मय हमराह ने अभियुक्त शनी यादव पुत्र राजेश यादव निवासी अहिरौली थाना बरदह आजमगढ को बहद ग्राम अहिरौली से 01 देशी तमन्चा .12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 379/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-** शनी यादव पुत्र राजेश यादव निवासी अहिरौली थाना बरदह आजमगढ

**बरामदगी का विवरण:-** 01 देशी तमन्चा .12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुआ ।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 379/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 उ0नि0 भगत सिंह थाना बरदह, आजमगढ
2. का0 पंकज यादव थाना बरदह, आजमगढ

## थाना सिधारी

### मोबाइल फोन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार; 02 मोबाइल फोन बरामद

#### गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 15.09.2023 को वादी मुकदमा बृजेश राजभर पुत्र गोविन्द राजभर सा0 मुहम्मदपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ मय हमराह संजय यादव ग्राम प्रधान बेलहथा मय खुद के पुत्र गोपाल व गाँव के अन्य 5-7 लोगो के मय पकड़े गये दो नफर अभि0 1. छोटेलाल पुत्र मुन्नु राम सा0 टाड़ी महाबलीपुर थाना जहानागंज आजमगढ 2.फिरोज पुत्र नबी रसूल निवासी ग्राम किशुनपुर थाना जहानागंज आजमगढ के उपस्थित थाना आकर सुपूद किया गया अभियुक्तो द्वारा वादी के घर में रात में घुसकर वादी का मोबाइल चुराकर भागने की कोशिश के दौरान पकड़ लिया गया, के सम्बन्ध मे दाखिल किये कि दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 350/2023 धारा 457/380/411 भादवि बनाम- 1. छोटेलाल पुत्र मुन्नु राम सा0 टाड़ी महाबलीपुर थाना जहानागंज आजमगढ 2.फिरोज पुत्र नबी रसूल निवासी ग्राम किशुनपुर थाना जहानागंज आजमगढ के पंजीकृत किया गया । जिसकी विवेचना उ0नि0 अखिलेश चौबे द्वारा किया जा रहा है ।

#### पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तो ने बताया कि साहब मैं और मेरा साथी फिरोज पुत्र नबी रसूल निवासी ग्राम किशुनपुर थाना जहानागंज आजमगढ जो पहले से एक साथ मिलकर चोरी का काम करते आ रहे हैं । आज रात में हम दोनों लोग ग्राम मुहम्मदपुर में एक घर में घुसकर मोबाइल फोन चोरी किये । चोरी करने के बाद हम लोग मोबाइल फोन लेकर जा रहे थे कि घर के लोग के जग जाने व शोर मचाने पर गांव वालों ने हम दोनों को पकड़ लिया और हम लोगों के पास से दोनों मोबाइल ले लिये ।

करीब दो महीना पहले हम लोगों ने बरामदपुर गांव के हरिजन बस्ती के एक घर में रात में घुसकर कुछ जेवरात व नगदी चोरी किये थे । जेवरात को बेचकर उसी पैसे से हम लोगों ने एक ओप्पो का मोबाइल सेकण्ड हैण्ड खरीदा थे जो फिरोज के पास से पकड़ा गया है । बाकी बचा पैसा हम लोगों ने आपस में बांट लिया जो खर्च हो गया है ।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 350/2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ

**आपराधिक इतिहास-** अभियुक्त छोटेलाल पुत्र मुन्नु राम

1. मु0अ0सं0- 125/20 धारा 379/411 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ
2. मु0अ0सं0 350/2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ
3. मु0अ0सं0- 270/23 धारा 457/380 भादवि थाना सिधारी आजमगढ

**अभियुक्त फिरोज पुत्र नबी रसूल**

1. मु0अ0सं0 350/2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ
2. मु0अ0सं0- 270/23 धारा 457/380 भादवि थाना सिधारी आजमगढ

**नाम पता अभियुक्त-**

1. छोटेलाल पुत्र मुन्नु राम साकिन टाड़ी महाबलीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 22 वर्ष
2. फिरोज पुत्र नबी रसूल निवासी ग्राम किशुनपुर थाना जहानागंज आजमगढ उम्र करीब 26 वर्ष

**बरामदगी-** 1. एक अदद मोबाइल फोन रेडमी व एक अदद मोबाइल फोन ओप्पो

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-** उ0नि0 अखिलेश चौबे मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ ।

## प्रेस नोट

### थाना निजामाबाद

#### हत्या में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक 14.09.2023 को वादिनी मुकदमा राधिका देवी पत्नी स्व० छडू राम ग्रा० शेखपुर दाऊद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा शिकायत किया गया कि उसके पति छडू को अभियुक्त दिनेश उर्फ भुल्लू ने पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नियत से सिर पर ईट से बार बार प्रहार कर मार डाला जिससे वादिनी के पति की मौके पर ही मृत्यु हो गयी और अभियुक्त फरार हो गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 401/23 धारा 302 भादवि० बनाम दिनेश उर्फ भुल्लू पुत्र बाबूराम निवासी शेखपुर दाऊद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 15.09.2023 को उ०नि० सुल्तान सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित नामजद अभियुक्त दिनेश उर्फ भुल्लू पुत्र बाबूराम निवासी शेखपुर दाऊद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 30वर्ष को बडागांव नहर पुलिया से समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 सीमेंटेड ईट बरामद कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु०अ०स० 401/23 धारा 302 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

**अपराधिक इतिहास-** 1.मु०अ०स० 0081/23 धारा 323,504,506,380,457,411 भादवि 2.मु०अ०स० 287/22 धारा 323,336,504 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़(मुकमदा उपरोक्त)

**गिरफ्तार अभियुक्त-** दिनेश उर्फ भुल्लू पुत्र बाबूराम निवासी शेखपुर दाऊद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 30वर्ष  
**बरामदगी-** 01 सीमेंटेड ईट

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. उ०नि० सुल्तान सिंह थाना निजामाबाद, आजमगढ़
2. हे०का० लछिराम थाना निजामाबाद आजमगढ़
3. हे०का० परमात्मा यादव थाना निजामाबाद आजमगढ़।

### थाना गम्भीरपुर

#### चोरी की घटना का अनावरण'; चोरी की मोबाइल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक 05.09.2023 को वादी धर्मेन्द्र यादव पुत्र स्व० लालसा यादव निवासी अमौड़ा मोहिउद्दीनपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा मेरे घर मे से बैग जिसमे वीवो मोबाइल, 10000 रूपया तथा कुछ कागजात थे चोरी कर लिये जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 297/2023 धारा 380 भादवि पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 15.09.2023 को उपनिरीक्षक अनुज कुमार पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली कि एक चोर, चोरी के मोबाइल के साथ फरिहा जाने वाले मार्ग पर खड़ा है, यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को पकड़ समय करीब 08.25 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सुरेश गौड़ पुत्र भरत गौड़ निवासी ग्राम कयूमुद्दीन पट्टी (परसहा) थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष बताया, जामा तलाशी से अदद मोबाइल बरंग काला वीवो कम्पनी का एण्ड्रायड सेट चोरी का बरामद हुआ

**पूछताछ विवरण-** गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैने यह मोबाइल दिनांक 04/05.09.2023 को ग्राम अमौड़ा मोहिउद्दीनपुर के रहने वाले एक यादव के घर से रात्रि में चोरी किया था जिसे मैं बेचने की फिराक में था परन्तु आप लोग द्वारा मुझे पकड़ लिया गया। वाद आवश्यक कार्यवाही गिरफ्तार अभियुक्त को मा० न्यायालय भेजा गया।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु.अ.स. 297/23 धारा 380/411 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

सुरेश गौड़ पुत्र भरत गौड़ निवासी ग्राम कयूमुद्दीन पट्टी (परसहा) थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष  
**बरामदगी-**

- 1- 01 अदद मोबाइल वीवो सम्बन्धित मु.अ.स. 297/23 धारा 380 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

उ.नि. अनुज कुमार पाण्डेय मय हमराह थाना गम्भीरपुर आजमगढ़